

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18 जयपुर, दि: 2 अक्टूबर, 2019


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद, अजमेर, अलवर, बाँसवाड़ा, बाँरा, बाड़मेर,  
भरतपुर, बीकानेर, बूँदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर,  
जालौर, झुँझुनु, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद,  
सीकर, सिरोही, गंगानगर एवं टोंक।

**विषय :-** निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चिता के क्रम में मौके से प्राप्त सेम्पलों की निजी प्रयोगशालाओं से कराए गये टेस्टिंग संबंधी सूचना के संबंध में।

**प्रसंग :-** विभागीय पत्र दिनांक 03.10.2019 एवं 13.10.2019 ।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चिता के क्रम में मौके से प्राप्त सेम्पलों की निजी प्रयोगशालाओं से कराए गये टेस्टिंग रिपोर्ट संबंधी सूचना /विवरण भिजवाने बाबत प्रासंगिक पत्र दिनांक 03.10.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था। उक्त संबंध में प्रासंगिक पत्रों एवं दूरभाष पर बार-बार स्मरण कराने उपरांत भी आपके जिले से वांछित सूचना आज दिनांक तक अप्राप्त है, जो कि खेदजनक है।

अतः उक्त संबंध में निर्देशानुसार पुनः लेख है कि गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चिता के क्रम में मौके से प्राप्त सेम्पलों की निजी प्रयोगशालाओं से कराए गये टेस्टिंग रिपोर्ट संबंधी सूचना /विवरण निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 23.10.2019 तक आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित कराने का श्रम करावें।

  
(के. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-**

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. जिला कलेक्टर, अजमेर, अलवर, बाँसवाड़ा, बाँरा, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूँदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झुँझुनु, जोधपुर, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, सिरोही, गंगानगर, एवं टोंक।
4. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)